न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

अपील संख्या 26/2014/75 एलआर एक्ट

सत्यदेव पुत्र हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

—: बनाम :—

1. औमप्रकाश पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंट

2. मुकनाराम पुत्र हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. शिवकुमार पुत्र गोपीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. झमनलाल पुत्र गोपीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्ण कुमार पुत्र गोपीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. कलवंत पुत्र गोपीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. सुमित्रा देवी पुत्री गोपीराम (पत्नि दौलतराम) जाति ब्राहम्ण निवासी सारस्वत मेडीकल स्टोर केसरीसिंहपुर तहसील केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. शीलादेवी पुत्री गोपीराम (पत्नि राधेश्याम) जाति ब्राहम्ण निवासी हनुमान मन्दिर के पास वार्ड नं. 15 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. सरोज पुत्री गोपीराम (पत्नि महेन्द्र कुमार) जाति ब्राहम्ण निवासी सारस्वत मेडीकल स्टोर केसरीसिंहपुर तहसील केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. शकुन्तला पुत्री गोपीराम (पत्नि पृथ्वीराज) जाति ब्राहम्ण निवासी टेलीफोन एक्सचेंज के पास संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

——तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.02.2014 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 139/2013 अनवानी औमप्रकाश बनाम सत्यदेव आदि

उपस्थित :—

श्री रमेशदास पुरोहित अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांक —05.01.2018

1. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम शर्ते 8(2) व सपठित धारा 251 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर चक 5 केएनजे के प.न. 110/268 कि.न. 20 मे 0.018 है0 रास्ता स्वीकृत करने एवं उक्त रास्ते के बदले मे चक 5 केएनजे के प.न.

110/268 कि.न. 12 व 19 प्रत्येक मे 0.009 कुल 0.018 है0 भूमि अप्रार्थीगण को देने का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यो के विरूद्ध पारित किये जाने के कारण काबिले निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण हाजा मे दिनांक 08.01.2014 को बहस सुनी जाकर आदेश हेतु दिनांक 15.01.2014 निशचित की गयी थी परन्तु दिनांक 15.01.2014 को आदेश न सुनाये के कारण आदेश हेतु पेंडिग रखी गयी थी दिनांक 25.02.2014 को जब न्यायालय मे पता किया तो अपीलांट को जानकारी हुई कि दिनांक 21.02.2014 को आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है। पत्रावली मे दिनांक 15. 01.2014 के पश्चात दिनांक 28.01.2014, 07.02.2014, 21.02.2014 तारीख मजीद बहस हेतु निशचित की गई तथा दिनांक 21.02.2014 को मजीद बहस सुनी जाकर निर्णय लिखाया गया है। जबकि वास्तव मे प्रकरण मे कभी भी मजीद बहस सुनी ही नही गयी तथा न ही इस बाबत अपीलांट व अपीलांट के अभिभाषक को कभी कोई सूचना दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है जो न्याय सिद्धांतो के विपरीत है। कानूनन रास्ता पत्थर लाईन मुरब्बा लाईन पर ही स्वीकृत किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है तथा रास्ता स्वीकृत करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि कृषक को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने हेतु सबसे नजदीक रास्ता सुलभ करवाया जाना चाहिए। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष कि.न. 20 मे जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वह रास्ता चालू नही होना अपितु उक्त कि.न. 20 मे मौका पर टयूबवैल बना होना व इसके पास एक पक्का तामीर शुदा कमरा भी बना हुआ होना टयूबवैल से सिंचाई हेतु पक्की खाली भी बनी हुई होना व मौके पर पेड़ लगे होना आदि कथन किये थे तथा कि.न. 20 आबादी से भी काफी दूर होना बताया तथा पत्थर लाईन पर व आबादी के नजदीक रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित होना भी बताया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो की ओर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि कि.न. 20 के स्थान पर कि.न. 11 मे रेस्पो0 सं. 1 को रास्ता दिया जा सकता है जिस हेतु अपीलांट सहमत भी है क्योंकि कि.न. 20 मे अपीलांट का टयूबवैल लगा हुआ है जिस कारण उक्त कि.न. 20 मे रास्ता दिया सम्भव नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 5 केएनजे के प.न. 110/268 के कि.न. 20 मे रास्ता स्वीकृत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए रेस्पो0 को अपनी आराजी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की नितान्त आवश्यकता को देखते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो सही है। उक्त कि.न. 20 मे रास्ता बाबत पूर्व मे रेस्पो0 सं. 1 भाई जोतराम के साथ अपीलांट सत्यदेव का ईकरारनामा सहमति दी हुई है। जिससे अपीलांट विबंधित है तथा उक्त ईकरारनामा के अनुसार अपीलांट/सत्यदेव आईन्दा कोई एतराज नही करेगा यह भी अंकित किया गया है। जहां तक अपीलांट का कथन है कि उक्त कि.न. 20 मे टयूबवैल लगा हुआ है तो उक्त टयूबवैल पत्थर लाईन से 25 फूट दूर है तथा उक्त कि.न. 20 मे रास्ता लगभग 4 वर्ष से चला आ रहा है इसलिए कि.न. 20 मे रास्ता हेतु टयूबवैल लगा होना के संबंध मे अपीलांट की आपत्ति का ठोस आधार पर नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को रास्ता की आवश्यकता को देखते हुए प्रश्नगत भूमि रास्ता स्वीकृत करते हुए रास्ता भूमि की ऐवज मे भूमि भी दी गई। रेस्पो0 को उक्त प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है। अपीलांट ने बिना किसी आधार के अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो0 सं. 1 औमप्रकाश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति पेश किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 5 केएनजे के प.न. 110/268 के कि.न. 20 मे 0.018 है0 रास्ता स्वीकृत करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जबकि अपीलांट के कथनानुसार एवं प्रस्तुत नक्शा के अनुसार उक्त कि.न. 20 मे टयूबवैल लगा हुआ है तथा मौका पर रास्ता चालू नही है। इस हेतु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी कथन किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए उक्त कि.न. 20 मे रास्ता स्वीकृत कर दिया। इसलिए अपीलांट उक्त कि.न. 20 के स्थान पर कि.न. 11 मे रास्ता देने हेतु सहमत है। परन्तु रेस्पो0 सं. 1 के कथनानुसार कि.न. 20 मे अपीलांट ने जो टयूबवैल लगा होने का कथन किया है, तो उक्त टयूबवैल पत्थर लाईन से 25 फूट दूर है तथा कि.न. 20 मे लगभग 4 वर्षो से बिना किसी बाधा के रास्ता चला आ रहा है और रास्ता स्वीकृत होने से टयूबवैल मे किसी प्रकार की क्षति कारित नही होगी। चूंकि अपीलांट द्वारा कि.न. 20 मे अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है, उक्त कि.न. 20 मे टयूबवैल लगा होने

के कारण रास्ता के संबंध मे आपत्ति जाहिर की गई है। परन्तु कि.न. 20 मे जो टयूबवैल लगा हुआ है, वह पत्थर लाईन से 25 फूट दूरी पर स्थित है और उक्त रास्ता पत्थर लाईन पर स्वीकृत किया गया है तथा उक्त कि.न. 20 मे लगभग 4 वर्षो से रास्ता चला आ रहा है एवं मौका पर भी चालू है। रास्ते के कारण कोई सारभूत व्यवधान होना भी प्रतीत नही होता है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता के संबंध मे दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2014 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रवाली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट कि.न. 20 के स्थान पर कि.न. 11 मे रेस्पो0 सं. 1 को रास्ता देने हेतु सहमत है क्योंकि कि.न. 20 मे अपीलांट का टयूबवैल लगा हुआ है जिस कारण उक्त कि.न. 20 मे रास्ता दिया सम्भव नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये कि.न. 20 मे स्वीकृत किये गये रास्ता के स्थान पर कि.न. 11 मे रास्ता स्वीकृत किया जावे तो अपीलांट को कोई आपत्ति नही है। इसलिए उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।